



सत्यमेव जयते

## भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के तहत गठित केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकन हेतु निम्नलिखित श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करता है:

1.	<p><b>मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायी [मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत]</b></p> <p><b>पदों की संख्या: 1 (एक)</b></p> <p><b>आवश्यक योग्यता:</b> व्यवसायी जिनके पास मनो विज्ञान एवम मानस रोग में स्नातकोत्तर डिग्री (आयुर्वेद) अथवा मनोचिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (होम्योपैथी) अथवा मोलिजात (नफ़सियत) में स्नातकोत्तर डिग्री (यूनानी) अथवा सिरप्पू मारुथुवम में स्नातकोत्तर डिग्री (सिद्धा) हो।</p> <p><b>अनुभव:</b> संबंधित क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव</p>
2.	<p><b>वह व्यक्ति जो [मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (o) के तहत] मानसिक बीमारी से ग्रस्त रोगियों को सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है।</b></p> <p><b>पदों की संख्या: 1 (एक)</b></p> <p>मानसिक बीमारी से ग्रस्त रोगियों के साथ कार्य करने के दस साल के अनुभव वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।</p>

### पात्रता की शर्तें:

1. आवेदक एक भारतीय नागरिक हो;
2. आवेदक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं हो;
3. मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को उनके संबंधित राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीकृत हो। यदि उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां व्यक्ति कार्य कर रहा है, में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है, तो उसे राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन के एक महीने के भीतर उस में पंजीकरण कराने का वचन-पत्र देना होगा।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ([www.mohfw.gov.in](http://www.mohfw.gov.in)) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

### पद की अवधि:

नामांकन की तारीख से एकमुश्त तीन वर्ष।

### भत्ते:

केंद्रीय प्राधिकरण का प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और ऐसे अन्य भत्तों के लिए पात्र होगा जो ऐसे आयोग या समिति की बैठकों में भाग लेने वाले केंद्र सरकार के आयोगों और समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों पर लागू होते हैं।

### आवेदन कैसे करें:

अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र ईमेल या पंजीकृत डाक के माध्यम से अवर सचिव (मानसिक स्वास्थ्य), कमरा नंबर 306, डी विंग, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली - 110011, ईमेल आईडी: "mentalhealth-mohfw@gov.in" के पते पर प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी होने की तिथि से 30 दिन है।

यह विज्ञापन समाचार पत्रों में दिनांक 13.03.2023 को जारी किया गया है। तदनुसार, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11.04.2023 है।

**मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के तहत गठित केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामांकन के लिए आवेदन पत्र**

श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया गया: \_

1.	नाम और पता																																
2.	जन्म तिथि																																
3.	शैक्षणिक अर्हताएं और शैक्षिक विवरण																																
	क्र.सं.	अर्हता	उत्तीर्ण होने का वर्ष																														
(पंक्तियों को आवश्यकता के अनुसार जोड़ा जा सकता है)																																	
4.	संगठन																																
	रोजगार (यदि कोई हो) का विवरण कालानुक्रम में। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अलग शीट संलग्न करें																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>कार्यालय/संस्थान/संगठन</th> <th>धारित पद</th> <th>से</th> <th>तक</th> <th>वेतनमान</th> <th>कार्यों की प्रकृति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान	कार्यों की प्रकृति																								
कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान	कार्यों की प्रकृति																												
5.	आवेदन की गई श्रेणी के तहत अनुभव का विवरण (संगत दस्तावेज लगाएं)																																
6.	मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर [मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत] होने की स्थिति में, क्या राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ पंजीकरण किया गया है ?																																
7.	यदि (6) का उत्तर नहीं है, तो क्या वचन पत्र संलग्न है ?																																
8.	अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसका आप सीएमएचए के सदस्य के रूप में नामित होने की अपनी योग्यता के समर्थन में उल्लेख करना चाहते हैं। (यदि स्थान अपर्याप्त है, तो एक अलग शीट संलग्न करें)																																

9.	टिप्पणियां	
----	------------	--

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सही और पूर्ण हैं।

दिनांक.....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर .....

नियोक्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित .....

पता: